संख्या– 59 / पॉच–1–2014–5(203) / 13

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2014

विषयः– प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क एक्स–रे सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा व निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही हैं, परन्तु राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे किये जाने हेतु प्रति एक्स–रे रू0–30/– शुल्क निर्धारित है, जिसे राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को स्वयं वहन करना पड़ता है।

2– प्रदेश की जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कटिबद्ध है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे कराने वाले रोगियों को निःशुल्क एक्स–रे सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क एक्स–रे की सुविधा दिनांक 20 जनवरी, 2014 से प्रभावी होगी ।

भवदीय,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–59 (1)/5–1–2014–5(203)/13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय चिकित्सालय उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय(पुरूष/महिला)/संयुक्त जिला चिकित्सालय।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मयूर माहेश्वरी)
विशेष सचिव।